

शिक्षा अपने आप में समाज को विकसित करने की क्षमता रखती है।

भारत में स्त्री शिक्षा की शुरुआत

प्राचीन काल के विषय में यदि बात की जाये तो स्त्री व पुरुष कि शिक्षा में भिन्नता पायी जाती थी। स्त्रियों को विशेष रूप से ललित कला, संगीत व नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। कात्यायन जैसे व्याकरणविदों का कहना है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। उस काल में भी स्त्री को पुरुष के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। स्त्री को भी पुरुषों के समान ही दर्जा प्राप्त था। परन्तु 500 ईसा पूर्व स्त्रियों की दशा में गिरावट प्रारम्भ हुई। मुगल काल में इस्लामी आक्रमण ने स्त्री की स्वतंत्रता एवं अधिकारों को सीमित कर दिया। शिक्षा के अभाव में स्त्रियां अपनी भावनाओं, गुणों एवं कुशलताओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाती थी। उनका जीवन घर की चहारदीवारियों के अंदर बंद रह जाता था। इन सबके बाद भी स्त्रियों ने शिक्षा, साहित्य एवं धर्म के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की थी, जिसमें राजकुमारी जहाँआरा, गुलबदन बेगम व जेबुन्निसाँ का नाम है, जो उस समय कि सुप्रसिद्ध लेखिका थी। राजा राममोहन राय जी ने उस समय में फैली कुरीतियों, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा को दूर करने का अथक प्रयास किया। जिसके कारण स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की प्रेरणा से बंगाल में कई स्कूल लड़कियों के लिए खोले गये। 1982 के भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार भारत सरकार की ओर से महिला शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान हुआ। आयोग के द्वारा स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में अनेकों उत्साहवर्धक सुझाव प्रस्तुत किये। परन्तु किसी कारणवश कार्यान्वित नहीं हो सके। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक भारत में स्त्री शिक्षा के लिए 12 उच्च शिक्षा के कॉलेज व 467 माध्यमिक विद्यालय और 5628 प्राईमरी विद्यालय थे। सम्पूर्ण भारत में छात्राओं की संख्या 4,44,470 थी। शताब्दी के अन्त तक शनै-शनै स्त्री उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही थी। किन्तु मुस्लिम छात्राओं का अभाव था। 20वीं शताब्दी उच्च शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। डी०के०कर्वे द्वारा सन् 1916 मे प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी। कर्वे जी ने इस बात का अनुभव किया कि स्त्री व पुरुष की शिक्षा उनके आदर्शों के अनुकूल होनी चाहिए। इसी वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई।

1946-47 में प्राईमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाली में छात्राओं की कुल संख्या 41,56,742 हो गयी थी। 1947-48 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में

कहा था कि स्त्री प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान समानता प्रदर्शित कर चुकी है जिस कारण नारी आदर्श के अनुकूल प्रथक रूप से शिक्षा पर विचार करना महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 10 वर्षों के पश्चात् 87,67,912 कुल छात्राओं की संख्या थी। 19 मई 1958 को स्त्री शिक्षा की समस्या पर विचार करने हेतु एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त हुई। जिसमें इनकी समस्याओं पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् स्त्री के लिए उपयुक्त सूची सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गयी थी। ब्रिटिश शासन काल के समय स्त्री शिक्षा का प्रतिशत केवल 2-6 था। 1961 में यह प्रतिशत बढ़कर 15.3 हो गया था। 1981 में यह प्रतिशत 28 आंका गया था। 2001 में 50 प्रतिशत स्त्री शिक्षा की ओर अग्रसर थी। 2011 में 65.46 स्त्री शिक्षा में आ चुकी थी। 2014 में केरल स्त्री शिक्षा में सबसे आगे है। वहाँ पर सबसे अधिक 86 प्रतिशत स्त्री शिक्षित थी। सबसे कम स्त्री साक्षरता दर उत्तरप्रदेश व बिहार राज्य में है। इससे कम साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में 12 प्रतिशत है। वर्तमान में भारत में स्त्री साक्षरता दर का प्रतिशत 70.3 है लेकिन वहीं पर जनसंचार के माध्यमों में सोशल मीडिया के उपयोग में इनका प्रतिशत 33.0 है। डिजिटल क्रांति आने के बाद भी महिलाओं का जनसंचार के माध्यमों का कम उपयोग करना उनकी समस्याओं को दर्शाता है। सरकार द्वारा समय-समय पर स्त्री शिक्षा सम्बन्धित कार्य करने के पश्चात् भी स्त्री शिक्षा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रही है। आज भी कुछ परिवारों की स्त्रियां अशिक्षा की जकड़ में है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें जनसंचार के माध्यमों से दूर रखा जाता है। स्त्री शिक्षा की समस्या आज भी समाज में बहुआयामी रूप में व्याप्त है।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता

पूर्व काल से ही विभिन्न विद्वानों के द्वारा स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है जैसा कि स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि जब तक हम स्त्री को शिक्षित नहीं करते है, तब तक समाज को शिक्षित नहीं कर सकते है और जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं होगा। वे पूर्ण रूप से स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। वे अपने देश की स्त्री की दयनीय दशा के प्रति बड़े सचेत थे। उसी प्रकार स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में राजा राममोहन राय के समय में स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। उनके समय में अनेकों कुरीतियाँ समाज में फैली थी। जिन्होंने स्त्री को नरक में डाल दिया था। उन्होंने स्त्रियों के अग्रणी अधिकारों के लिए प्रारम्भ से ही आवाज उठाई थी। पर वें जानते थे कि जब-तक स्त्रियां पढ़-लिख कर सशक्त नहीं होगी तब तक उनकी दशा नहीं सुधरेगी। और वें अपने अधिकारों के लिए सघर्ष करें और अपनी रक्षा करें।

महर्षि दयानन्द जी ने कहा था कि मातृ शक्ति के अभाव में कोई भी समाज अथवा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, ऊँचा नहीं उठ सकता हैं। अतः स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही शिक्षा देनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बिना स्त्री शिक्षा के राष्ट्र का विकास सम्भव ही नहीं हो पायेगा। आज प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियाँ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कहा जाता है कि बच्चों की प्रथम अध्यापिका उसकी माँ होती है। जन्म से स्कूल जाने तक बालक सबसे अधिक अपनी माँ से ही सीखता है।

संचार क्रांति का स्त्री शिक्षा पर प्रभाव

संचार क्रांति इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना के समान है। यह संचार क्रांति का ही परिणाम है कि विश्व के किसी भी कोने में घटित घटना कुछ ही समय में संपूर्ण दुनिया में संचारित हो जाती है। इंटरनेट के आने से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। सोशल नेटवर्किंग के आने के बाद से वार्तालाप करने के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जीवन शैली को संचार क्रांति और जनसंचार माध्यमों ने बदल कर रख दिया है। स्त्री शिक्षा पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। आज महिलाएँ देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं। ओलंपिक में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाएँ बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। इस तरह की सूचना जब लोगों तक पहुँचती है तो उनके विचारों में भी बदलाव आता है। अगर कोई निर्धन परिवार की महिला अच्छा कार्य कर रही है तो जनसंचार के माध्यमों की वजह से लोग उसके बारे में जानते हैं और उसके कार्य को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग करते हैं।

स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

पारिवारिक कारण

स्त्री शिक्षा के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा परिवार को माना गया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्त्री शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, ना ही समझना चाहते हैं। 100 छात्राओं में से 80 ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा कम रहने के पीछे का कारण परिवार को माना है। पारिवारिक बाधाओं में उन्होंने जिन कारणों को अधिक महत्वपूर्ण माना है वो निम्न है

- माता पिता का अशिक्षित होना।
- लड़कियों को पराया धन मानना।
- लड़कियों के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण।
- स्त्रियों को घर से बाहर ना जाने देना।
- स्त्रियों को पारिवारिक संवाद में शामिल न करना।

सामाजिक कारण

स्त्री शिक्षा के कम होने का दूसरा मुख्य कारण समाज में व्याप्त बुराइयों को माना गया है। 100 में से 90 छात्राओं ने स्त्री शिक्षा की बाधा को सामाजिक कारण बताया है। सामाजिक कारणों में जिन समस्याओं को मुख्य रूप से सामने लाया गया है वो निम्नवत् है—

- संकुचित दृष्टिकोण का होना।
- रूढ़िवादी समाज।
- खोखले रीति रिवाज।
- स्त्री को समाज में समान अधिकार ना देना।
- पुरुष प्रधान समाज।

आर्थिक कारण

स्त्री शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों में आर्थिक कारण भी प्रकाश में आये हैं। 95 प्रतिशत छात्राओं ने स्त्री शिक्षा में आर्थिक कारणों को महत्वपूर्ण बाधा के रूप में स्वीकार किया है।

संस्थागत कारण

स्त्री शिक्षा में बाधा का एक और महत्वपूर्ण कारण संस्थागत बाधा भी है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों प्रशासन द्वारा कभी-कभी कुछ ऐसी बाधाएँ उत्पन्न कर दी जाती हैं जिससे स्त्री शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है।

- छात्राओं के लिए स्कूल, कालेज में शौचालयों की उचित व्यवस्था का न होना।
- शिक्षण शुल्क का अधिक होना।
- छात्राओं के लिए पृथक विद्यालयों का ना होना।
- महिला शिक्षिकाओं का अभाव होना।
- विद्यालय से घर की दूरी का अधिक होना।

अन्य समस्या

स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में यदि अन्य समस्या की बात की जाये तो वो निम्न समस्या है—

- यातायात की समस्या।
- समाज में बढ़ती अपराधिक प्रवृत्ति।
- ऑनलाइन शिक्षा साइबर बुलिंग।
- साइबर क्राइम।

स्त्री शिक्षा में वृद्धि हेतु कुछ सुझाव

स्त्री शिक्षा में वृद्धि की यदि बात की जाये तो समय-समय पर सरकार एवं गैरसरकारी संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये जाते रहे हैं। वर्तमान में इस

